भाग–III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितम्बर, 2025

संख्या का०आ० 74/के०अ० 16/1927/धा० 4/2025.– भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खंड (ग) तथा उप–धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार वन विभाग अधिसूचना संख्या, का.आ. 149/के.अ.16/27/धा.4/87, दिनांक 18 दिसंबर, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, वन विभाग, अधिसूचना संख्या, का.आ. 149/के.अ.16/27/धा.4/87, दिनांक 18 दिसंबर, 1987 में, खंड (ख) में, "श्री एम. पी. शर्मा, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत)" शब्दों, चिह्न तथा कोष्ठकों के स्थान पर "श्री एम. पी. शर्मा, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत), अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकूला तथा जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला" शब्द, चिह्न तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2025

No. S.O. 74/C.A. 16/1927/S. 4/2025.— In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) and sub-section (3) of section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Forest Department, notification No. S.O.149/C.A.16/27/S.4/87, dated the 18th December, 1987, namely: —

Amendment

In the Haryana Government, Forest Department, notification No. S.O.149/C.A.16/27/S.4/87, dated the 18th December, 1987, in clause (b), **for the words, signs and brackets "Sh. M.P. Sharma, Indian Forest Service (Retired)"**, the words signs and brackets **"Sh. M.P. Sharma, Indian Forest Service (Retired), Additional Deputy Commissioner, Panchkula and District Revenue Officer, Panchkula"** shall be substituted.

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Environment, Forests and Wildlife Department.

12113—L.R.—H.G.P., Pkl.